भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2096
14 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: गेहूं का बुआई क्षेत्र

2096. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्‌युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं की बुआई के क्षेत्र में गत पांच वर्षों के औसत की तुलना में वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में गेहूं का उत्पादन बढ़ने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार यूक्रेन युद्ध के दौरान खाद्य पदार्थों की कमी और मुद्रास्फीति की आशंका के कारण गत वर्ष मई में गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्तमान वित्त वर्ष में गेहूं के निर्यात से सरकार को प्राप्त होने वाले संभावित राजस्व का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का गेहूं के इस बम्पर उत्पादन के माध्यम से बाजार में पहले से ही प्रचलित आटे की ऊंची कीमतों को नियंत्रित/कम करने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): कृषि वर्ष 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में गेहूं का उत्पादन 112.18 मिलियन टन होना अनुमानित है जो 2021-22 के दौरान प्राप्त उत्पादन से 4.44 मिलियन टन अधिक है। विगत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के औसत की तुलना में वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 (दूसरा अग्रिम अनुमान) में गेहूं के बुआई क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि/कमी का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के समक्ष गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध को हटाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष (जनवरी, 2023 तक) के दौरान 11728.36 करोड़ रूपए मूल्य के गेहूं का निर्यात किया गया है।

(ङ) और (च) गेहूं और आटा के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने और इसे कम करने के लिए एफसीआई खुला बाजार बिक्री योजना-घरेलू {ओएमएसएस(डी)} के तहत समय-समय पर खुले बाजार में पूर्वनिर्धारित मूल्य पर केंद्रीय पूल से गेहूं के अतिरिक्त भंडार की बिक्री करता है। अब तक 31 मार्च, 2023 तक ओएमएसएस(डी), 2023 के तहत एफसीआई भंडार से 50 एलएमटी (30+20 एलएमटी) गेहूं को ऑफलोड करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2023 हेतु ओएमएसएस(डी) नीति की समीक्षा की है और दिनांक 10.02.2023 तथा 17.02.2023 के आदेश द्वारा गेहूं के आरक्षित मूल्य को कम कर दिया है।

अनुबंध

दिनांक 14.03.2023 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2096 के भाग (क) के उत्तर के सबंध में उल्लिखित अनुबंध

गेहूं बुआई क्षेत्र

('000 हेक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**औसत 2017-18 से 2021-22**	**2022-23***	**वास्तविक वृद्धि/कमी**
असम	12.91	10.00	-2.91
बिहार	2173.88	2203.82	29.93
छत्तीसगढ़	126.51	146.40	19.89
गुजरात	986.23	1313.00	326.77
हरियाणा	2479.14	2364.14	-115.00
हिमाचल प्रदेश	315.45	322.21	6.76
झारखंड	211.98	164.13	-47.86
कर्नाटक	172.22	162.00	-10.22
मध्य प्रदेश	5994.00	7150.00	1156.00
महाराष्ट्र	1034.76	1071.20	36.44
ओडिशा	0.14	0.18	0.04
पंजाब	3521.68	3506.00	-15.68
राजस्थान	2878.00	2964.70	86.70
तेलंगाना	5.40	3.00	-2.40
उत्तर प्रदेश	9683.60	9590.00	-93.60
उत्तराखंड	317.20	298.00	-19.20
पश्चिम बंगाल	166.25	250.00	83.75
अन्य	302.67	349.49	46.82
अखिल भारत	**30382.01**	**31868.26**	**1486.24**

* दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

*****